न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 14/17 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00065

उनवान

1. नीतू यादव पुत्री किरोडी लाल यादव उम्र करीब 26 वर्ष जाति यादव निवासी मौहल्ला गडरपुरा दमापुर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती माधुरी देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह
2. नीलम पुत्री लक्ष्मण सिंह
3. गायत्री पुत्री लक्ष्मण सिंह
4. नरेश पुत्र लक्ष्मण सिंह

समस्त जातिगण लोधा निवासीगण सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

5. अजय पुत्र लक्ष्मण सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र दयाल सिंह
7. रामवती पुत्री दयाल सिंह
8. ओमवती पुत्री दयाल सिंह
9. टीकम सिंह पुत्र दयाल सिंह
10. भवानी शंकर पुत्र दयाल सिंह
11. जय सिंह पुत्र दयाल सिंह
12. अजीत सिंह पुत्र दयाल सिंह
13. मंगल सिंह पुत्र दयाल सिंह

समस्त जातिगण लोधा निवासीगण सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 12.07.2016 प्र.संख्या 17/13 उनवानी माधुरी बनाम लक्ष्मण।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री जे0 पी0 शर्मा उपस्थित

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

दिनांक–18.07.2023

निर्णय

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सीरदमापुर, दमापुर तहसील व जिला धौलपुर जो कि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है वादी संख्या 01 के ससुर एवं वादी संख्या 02 लगायत 05 के बाबा एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 01, 03 लगायत 10 के पिता दयाल सिंह विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार थे। दयाल सिंह का स्वर्गवास दिनांक 04.10.20001 को हो गया था। विवादित आराजी दयाल सिंह के द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति से अर्जित सम्पत्ति है। वादी संख्या 01 को शादी के बाद परिवार का सदस्य होने से एवं वादी संख्या 02 लगायत 05 को जन्म से विवादित आराजी में अधिकार प्राप्त है। वादीगण का विवादित आराजी में 5/60 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/60 के खातेदार काश्तकार हैं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 हिस्सा 9/10 के खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी से प्राप्त होने की आमदनी से वादीगण के पुत्रो की पढाई व परिवार का भरण पोषण होता है। आमदनी का कोई अन्य जरिया नहीं है। जब प्रतिवादी संख्या 01 को समझाया कि शराब के लिये घर की सम्पत्ति को नहीं बेचे ना सौदा करे तो घर में झगडा व अशांति पैदा करते हैं। अन्ततः वादीगण ने दिनांक 30.05.2011 को अखबार धौलपुर गजट में वादी संख्या 01 के कृत्य के बारे में निकलवाया एवं प्रतिवादी संख्या 01 को अखबार की प्रति दी प्रतिवादी संख्या 01 ने कहा कि दिनांक 23.05.2011 को उसने कोई विक्रय सौदा किसी भी व्यक्ति के हक में नहीं किया है। अगर जरूरत पडी तो पिछली तारीख में विवादित आराजी का विक्रय का सौदा कर रूपया हासिल कर लूंगा। यदि प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 23.05.11 या उससे पूर्व विवादित आराजी का बेचान संबंधी एग्रीमेण्ट शराब के नशे में या शराब के लिये किसी के हक में कर दिया हो तो उक्त संबंधी एग्रीमेंट वादीगण के हिस्से तक विधि विरूद्ध व शून्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर अपने खातेदारी अधिकारी की घोषणा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र आधीन आदेश 96 जा0दी0 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी, अपीलाण्ट ने रैस्पों0/प्रतिवादीगण संख्या 06 से जरिये एक लाख रूपये के बदले जरिये इकरारनामा क्रय की है। अतः अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जबकि रैस्पो0 को उक्त इकरारनामा की बखूबी जानकारी रही है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 ने रैस्पो0 06 लगायत 13 की ना तो जाति, वाद पत्र में अंकित की है एवं ना ही उनका पता अंकित किया है, तो फिर रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 ने अधीनस्थ न्यायालय में शेष रैस्पो0 की तलवी किस प्रकार कराई एवं इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कैस अमल में लाई गई संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादीगण्ण की मिली भगत व साज को दर्शाती है। विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है। इस तथ्य को बिना साक्ष्य पर लिये बिना दस्तावेजी साक्ष्य दिये अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र लक्ष्मण सिंह की मौखिक सहमति पर कानून से परे जाकर निर्णय पारित किया है जो अवैध है। इसके अलावा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के आधीन पैतृक सम्पत्ति पिता के जीवन में पुत्र व पुत्रियों को जाना आशायित है, किन्तु पत्नी पर प्रकान्त होना आशायित नहीं है। इसलिये भी आक्षेपित निर्णय व डिक्री अवैध है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अपीलार्थी के हित सीधे प्रभावित हो रहे हैं। यदि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन हो जाता है तो अपीलार्थी के दीवानी वाद संख्या 05/13 उनवानी नीतू बनाम लक्ष्मण का उद्देश्य विफल हो जावेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2012 पेज 1029, 2021(1) पेज 312, 342, डीएनजे 2018 पेज 1422, आरआरटी 2010(1) पेज 112, एआईआर 2022 पेज 1694, आरआरटी 2009(1) पेज 10, 2021(2) पेज 785 का उद्धरण पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट के कथित इकरारनामा की कोई मान्यता नहीं है एवं ना ही राजस्व न्यायालय को इकरारनामा के आधार पर वाद सुनवाई का कोई अधिकार हासिल है। अपीलाण्ट को कोई अनुतोष चाहिये तो, सिविल न्यायालय से प्राप्त करें एवं उन्होंनें सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी कर रखा है। अतः राजस्व न्यायालय से उन्हें कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2010 पेज 408, 1989 पेज 750, 1990 पेज 554, 689, 528, 1991 पेज 392, 1992 पेज 446, आरआरटी 2011 पेज 1253 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 06 लक्ष्मण

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकदमे इब्तदाइ

सिंह से विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 एवं 35 कुल किता 02 कुल रकवा 02 बीघा 04 विस्वा का इकरारनामा कराया है। परन्तु रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाते हुये, विवादित आराजी की प्राथमिक डिक्री हासिल कर ली। हम पाते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विक्रय अनुबंध से अधिकार सृजन का प्रावधान नहीं है। अपीलाण्ट माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, धौलपुर में दावा संख्या 05/2013 शीर्षक नीतू यादव बनाम लक्ष्मण लम्बित रहना कथन करते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट के कथित इकरारनामा का दावा, सिविल न्यायालय से तय होना अभी शेष है। लिहाजा अपीलाण्ट, उक्त सिविल वाद के तय होने से पूर्व हस्तगत अपील के माध्यम से कोई अनुतोष पाने के पात्र नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2016 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर